संख्या-568/2025/आई/1141505/23-1-25/001-23-1002(002)/300/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 88 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 88 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 59,13,43,000/- (रूपये उनसठ करोड़ तेरह लाख तैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 20,69,67,000/- (रूपये बीस करोड़ उनहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा0ख0 गोण्डा	530482	गोण्डा उतरौला मार्ग से रेवतागाढ़ा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	5.400	72.83	25.49
2	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा0ख0 गोण्डा	530596	गोण्डा उतरौला मार्ग से महेशभारी सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.660	80.88	28.31
3	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा0ख0 गोण्डा	531883	देवरिया अलावल पारासराय नरायनपुर से पूरे सिंधारी सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.900	70.95	24.83

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
4	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा0ख0 गोण्डा	530379	दुल्लापुर बनकट सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.500	47.80	16.73
5	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा0ख0 गोण्डा	530370	मतवरिया सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.575	48.36	16.93
6	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	530701	चिन्ताहरण मन्दिर से परिसया गूदर होते हुये बनकटा तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	5.000	74.64	26.12
7	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	537262	बिरमापुर से अंचलापुर प्रा0पा0 से अहिरनपुरवा होते हुए मुरावनपुरवा तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.00	55.33	19.37
8	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	531683	तेलहा से बरौली सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	49.10	17.19
9	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	537282	तरबगंज अमदही मार्ग से दूबेपुरवा नयेपुरवा मुरावनपुरवा जयराम बरईपुरवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.500	58.12	20.34
10	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	537489	पी0डी0 बन्धा से राम पियारे मौर्या राधे श्याम मौर्या के घर होते हुए लालापुरवा तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.750	60.60	21.21
11	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	530214	डिडिसियाकला सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	3.000	49.92	17.47
12	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	537327	बारामासा से नेवापुरवा अचलीपुरवा प्राइमरी स्कूल से निगाहीपुरवा गोविन्दपुरवा चैराहा से आदित्यपुरवा ठाठुपुरवा समपर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	4.250	68.83	24.09
13	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	537426	ढोढ़ेपुर से अहिरनपुरवा लालापुरवा ब्रम्हबाबा स्थान से कोरीपुरवा टेपरा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	5.000	81.42	28.50
14	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. गोण्डा	530705	बस्ती खास पक्की सड़क के किमी0 3 से सहियापुर बिलारी सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	47.71	16.70
15	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. गोण्डा	531848	डी0एम0बी0 मार्ग किमी0 54 से जिगरिया पिपरा बड़ा खॉ सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	48.38	16.93
16	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. गोण्डा	536603	सबना मझौवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.300	42.31	14.81

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
17	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. गोण्डा	537475	कुलीबनकट नायकजोत पुरवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	46.36	16.23
18	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	531938	एम0एम0बी0 मार्ग के किमी0 61 से रमदतपुर होते हुये मटियरिया सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.200	43.18	15.11
19	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	531941	मकोईया ;पी0एम0जी0एस0 (वाई0) से बहेरी होते हुये सीकरी टप्पा कोट चौराहे तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.850	81.76	28.62
20	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	531900	एम0एम0बी0 मार्ग किमी0 16 से धानेपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	42.58	14.90
21	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	531944	फूलपुर सम्पर्क मार्ग से हरखूपुर होते हुये डी0एम0बी0 मार्ग तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.300	43.11	15.09
22	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	530102	अमवावीरपुर मार्ग से घुनाही होते हुये कुड़वासीर तक मार्ग के विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	1.80	49.81	17.43
23	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-1 गोण्डा	531196	महादेव सिसवरिया मार्ग से बरूआ किनकी नौबस्ता के बगल गौरवा कानूनगो मोतीगंज इंटर कालेज सम्पर्क मार्ग	8.200	118.04	41.31
24	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-1 गोण्डा	530288	पिपरा पदुम सम्पर्क मार्ग	5.000	81.06	28.37
25	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-1 गोण्डा	531241	बरईपुरवा सम्पर्क मार्ग	1.600	47.30	16.56
26	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-1 गोण्डा	531242	चकसड सम्पर्क मार्ग	1.500	43.98	15.39
27	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-1 गोण्डा	531971	तेन्दुआ भगत खास सम्पर्क मार्ग	2.900	56.55	19.79
28	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	537031	दुरौनी से पीडी बन्धा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.300	43.09	15.08
29	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	536928	पासीपुरवा से अभईपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.800	45.74	16.01
30	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	535956	सहजौरा से अन्दूपुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	43.52	15.23
31	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	536683	सम्भ्लपुरवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	56.59	19.81
32	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	535813	सेमरी चन्दापुर मार्ग से खरथरी सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	49.77	17.42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
33	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	532105	बल्दूपुरवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	0.650	44.14	15.44
34	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	531647	बौनापुर प्रधानमंत्री मार्ग से नदावा होते हुए पकड़ी सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.000	42.90	15.02
35	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	531082	दरियापुर से हरदौपट्टी सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	44.58	15.60
36	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	531451	जगतापुर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.200	44.61	15.61
37	I/327669/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-2 गोण्डा	530646	गोण्डा बहराइच मार्ग पर पिपरा बाजार से सोनापार होते हुए रमवापुर गोविन्दा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	4.200	59.38	20.78
38	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख. बलरामपुर	520733	शाहपुर इटई सम्पर्क मार्ग	3.300	52.32	18.31
39	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	526043	बगहिया से रसूलपुर तक सम्पर्क मार्ग।	2.500	52.81	18.48
40	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	520662	बी0टी0 मार्ग से बलुआ बलुई मार्ग	3.000	70.59	24.71
41	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	520654	कपौवा कयाम जोत लखमा मार्ग	4.000	99.27	34.74
42	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	524105	सरदारगढ़ से रानीजोत रछौडा सम्पर्क मार्ग	2.500	40.76	14.27
43	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	525868	महेश भारी भैसहवा मार्ग से बस्ती सरयू नहर पटरी होते हुए गोण्डा उतरौला मार्ग तक सम्पर्क मार्ग	6.000	96.77	33.87
44	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा.ख. बलरामपुर	520188	बेलभरिया सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	3.000	72.22	25.28
45	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा.ख. बलरामपुर	UP52VR	सोनपुर पुरैना बालापुर सम्पर्क मार्ग किमी0 2 से 6(300) का विशेष मरम्मत कार्य	4.300	123.47	43.21
46	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	520041	मधुपुर गैडास बुजुर्ग सादुल्ला नगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) 6(800), 7,8,10,17,21 (125),27(210)	6.135	223.07	78.07
47	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	520687	हुसैनाबाद ग्रन्ट मार्ग	2.000	56.41	19.74
48	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	526051	महमूदाबाद ग्रण्ट के कुकटपुरवा से पश्चिम सरहद से मजार होते हुए पकड़ीमुवालहोते हुए बलुआ घाट तक सम्पर्क माग	5.00	112.47	39.36

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
49	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	520731	ग्वालियर ग्रन्ट मार्ग	3.30	59.76	20.92
50	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा.ख. बलरामपुर	525761	गनवरिया सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	1.600	46.60	16.31
51	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा.ख. बलरामपुर	526052	अरनहवा गांव के पश्चिम से श्रावस्ती बार्डर तक सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	3.000	48.81	17.08
52	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा.ख. बलरामपुर	520110	ललिया मथुरा वाया बजरडीह सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	6.600	139.27	48.74
53	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा.ख. बलरामपुर	520607	कोइरी मथुरा चैधरीडीह मार्ग से करमैती सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	4.000	66.46	23.26
54	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा.ख. बलरामपुर	526081	पूरेछीटन से अमरहवा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	2.600	45.16	15.81
55	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	प्रा.ख. बलरामपुर	525918	महाराजगंज ललिया मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 6 के बायें से निकलकर अमरहवा तक सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	2.000	57.36	20.08
56	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बलरामपुर	526069	जलानीपुरवा से तिबारीडीह के उत्तर बरदहवा मोड होते हुये दुंदरा गांव तक सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	3.00	48.73	17.06
57	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	501095	सतपेडिया सम्पर्क मार्ग	1.500	60.18	21.06
58	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	500187	सुसरौली सम्पर्क मार्ग	1.500	61.83	21.64
59	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	507594	ककरा नेवादा सम्पर्क मार्ग	1.600	69.31	24.26
60	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	500348	बहराइच भिनगा सिरसिया चैधरीडीह मार्ग	0.210	49.27	17.24
61	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	507384	गंगवल बाजार से लखनगोण्डा निरहूपुर चन्दईपुर होते हुए जगदीशपुर सम्पर्क मार्ग तक मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	0.810	65.58	22.95
62	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	501360	हरिराजपुर सम्पर्क मार्ग	0.810	47.84	16.74
63	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	501525	लौकाही सम्पर्क मार्ग	0.800	48.03	16.81
64	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	501113	पयागपुर डाकघर सम्पर्क मार्ग	0.800	47.85	16.75
65	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	507112	कटका भग्गड़वा से हरवाटाड़ होते हुए सूसी सम्पर्क मार्ग	0.600	44.53	15.59

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
66	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	506830	कैसरगंज ग्यारह सौ रेती से बभननपुरवा गौशाला टेपरा होते हुए मंगलमेला सम्पर्क मार्ग	0.900	66.06	23.12
67	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	500984	बवालीपुरवा सम्पर्क मार्ग	1.000	67.02	23.46
68	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	501264	नासिरगंज सम्पर्क मार्ग	1.800	66.94	23.43
69	आई/303488/2025, दिनांक 09.10.2025	नि.ख.-1 बहराइच	500735	भगवानपुर माफी सम्पर्क मार्ग	0.700	53.44	18.70
70	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बहराइच	507624	जोकहा-सलारपुर सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.00	144.28	50.50
71	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बहराइच	500156	नानपारा-पीलीभीत मार्ग से मधुवन वाया बहादुरपुरवा मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.600	124.30	43.51
72	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बहराइच	500343	खरखट्टयनपुरवा सेतु की पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.600	110.76	38.77
73	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बहराइच	500247	नकहा कोटहा सं0 मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	61.09	21.38
74	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बहराइच	500886	धोबियन टेपरा सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.600	60.38	21.13
75	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बहराइच	500337	गोविन्दपुर कोठार सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.700	41.79	14.63
76	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बहराइच	500141	परसोहना सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	6.650	190.37	66.62
77	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बहराइच	500564	कुम्हारनपुरवा सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	47.68	16.69
78	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बहराइच	500293	नौतला सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	0.80	50.31	17.61
79	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बहराइच	505217	खैरा डोकरी वाया कोदही जिहुरामाफी से ठाकुरपुरवा सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.93	77.94	27.28
80	आई/305052/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा0खं0श्रावस्ती	515126	इकौना भिनगा मार्ग से राजापुर होते हुए राधानगर आकर धर्मपुर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग के किमी0-1,2 एवं 3 में विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	50.48	17.67
81	आई/305052/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा0खं0श्रावस्ती	510790	वि0खं0-जमुनहा में एन0एस0एल0एच0 मार्ग के किमी0-32 रमवापुर धूमबोझी से दुर्गापुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 व 2(700) में विशेष मरम्मत	1.700	171.37	59.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				एवं किमी0-2 (700) में क्षतिग्रस्त मार्ग पर काजवे का निर्माण कार्य।			
82	आई/305052/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा0खं0श्रावस्ती	510795	वि0खं0-जमुनहा मेंएन0एस0एल0एच0 मार्ग के किमी0-20 से बभनपुरवा (प्रा0वि0 सम्पर्क मार्ग के किमी0-1) एवं 2(350) में विशेष मरम्मत का कार्य।	1.350	62.84	21.99
83	I/320855/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. श्रावस्ती	510009	विकास खण्ड -जमुनहा मे चैगोई से फुलवरिया शाहपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-2 एंव 3(595) में विशेष मरम्मत का कार्य।	1.595	79.36	27.77
84	I/320855/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. श्रावस्ती	510435	विकास खण्ड -जमुनहा मे बी0के0 रोड किमी0-24 से महर मूर्तिहा जमुनही उम्मेदपुर सम्पर्क मार्ग किमी0-1 ,2 ,एंव 3 (500) में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.50	85.30	29.86
85	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. श्रावस्ती	510231	शंकरपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 एवं 2 में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.000	57.86	20.25
86	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. श्रावस्ती	510025	डोमई सम्पर्क मार्ग के किमी0-3, 4, 7 एवं 8 में विशेष मरम्मत का कार्य।	4.000	64.84	22.69
87	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. श्रावस्ती	510221	बकवा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1, 2 एवं 3(100) में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.100	46.34	16.22
88	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. श्रावस्ती	510588	बी0बी0एस0सी0 गुलरा से पड़वलिया डोमई सम्पर्क मार्ग के किमी0-8(500) में विशेष मरम्मत का कार्य।	0.500	40.72	14.25
					कुल योग-	**5913.43**	**2069.67**

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्यों प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(9) प्रश्नगत कार्यों निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला **रू0 20,69,67,000/- (रूपये बीस करोड़ उनहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-568/2025/आई/1141505(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/300/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।